

FORM NO -III

भ्रज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकाम नागौर



प्रार्थी
राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक,
शाखा-त्रिसंगिया, नागौर जरिये
प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण

- श्रीमति राम प्यारी पत्नी श्री गिरधारी
वार्ड नम्बर-16, पुराना पुलिस स्टेशन के
पास, नावां जिला नागौर राज0-341509

किस्म मुकदमा -सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या 338 सन् 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 20.10.22 | <p>वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का अप्रार्थी से कब्जा लेकर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी दिनांक 11/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला मजिस्ट्रेट, नागौर </p> | |
| 01/11/22 | <p>वकील प्रार्थी श्री डिपेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित। वकील प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र को Note Press करते हुए कथन किया कि वह इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को Note Press करने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  (पीयूष समारिया) जिला मजिस्ट्रेट, नागौर </p> | <p>NOT Press की प्रार्थना नहीं कार्रवाई की है। Deepanshu Sharma</p> |